

संख्या-1180/15-7-01-16(45)/2007

प्रिय,

एफएनओ प्रधान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सूचना,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 रामपुराव केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

विषय :- अवयव पत्रिका स्कूल राजगीर-2, शारदा नगर, रायबरेली रोड, लखनऊ को सी.बी.सी.एस. 2007 नई दिल्ली से संबन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता।
लखनऊ दिनांक 30 जुलाई 2007

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने हेतु भुझ यह कहने का विचार हुआ है कि उक्त संघर्षित विद्यालय को सी.बी.सी.एस. 2007 नई दिल्ली में रायबरेली हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इन राज्य सरकार को निर्माता/प्रतिष्ठित प्रोत्साहनों के अधीन आयाता नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रथम समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्राथमिक स्तर अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित रहें और उनसे उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद/केन्द्रीय शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से मिली अनुदान की नॉन गवर्नी की जांचें की जायें और पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद में प्राप्त मातृक व उच्च विद्यालय की संचयता सेक्टर बोर्ड आर सी.बी.सी.एस. 2007 नई दिल्ली/परीक्षा आर डि.एन. स्कूल सर्टिफिकेट इत्यादि अनुदान नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषदों से संबन्धित प्राप्त होने की जांच से उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदान मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः संचयता हो जायेगा।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिष्यावृत्ति कार्यकारियों का राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय संस्थाओं के कार्यकारियों की अनुदान वेतनपत्रों तथा अन्य भत्तों में वृद्धि वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायें।

Hauab

PRINCIPAL
AVADH PUBLIC SCHOOL
WANI KHAND-I, SHARDA NAGAR
LAE BARELI ROAD, LUCKNOW



- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त करवायेगी। उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों के कर्मचारियों का अनुक्रमणिका संकाय निर्धारण का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था समया पालन करेगी।
- (8) विद्यालय का रिफार्ड नियमित प्रमुख अधिकारियों में रखा जायेगा।
- (9) उगत शक्तों में राज्य सरकार के प्रशासनिक को बिना कटौत परिणाम/ संशोधन परिचरणा नहीं किया जायेगा।

2- उक्त परिचरणा का पालन करना संस्था के लिए आवश्यक होगा और जो भी नियम सुझाये जायेगा कि संस्था द्वारा उक्त परिचरणा का पालन नहीं किया जा रहा है संस्था को पालन करने में किसी प्रकार का दूक या व्यायोजना परती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

॥ श्री ॥
 (प्रमुख अधिकारी)
 संयुक्त संघर्ष।

प्रमुखता एवं दिनांक मंद्य

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आणविक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक (गो), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, रायबरेली।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय (गो), लखनऊ।
- 5- प्रबंधक, अग्रथ प्राथमिक स्कूल राजनीतापड-१, आरधनगर, रायबरेली रांड, लखनऊ।
- 6- गाई दूक।

Gautam
 PRINCIPAL
 AVADH PUBLIC SCHOOL
 RAJANI KHAND-I, SHARDA NAGAR
 LAE BARELI ROAD, LUCKNOW

॥ श्री ॥
 (प्रमुख अधिकारी)
 संयुक्त संघर्ष।

